मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०२४

मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपराधों के अपराधमुक्तकरण और तर्कसंगतिकरण के लिए कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

(२) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे मध्यप्रदेश सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों से संबंधित संशोधनों के लिए अलग–अलग तारीखें नियत की जा सकेंगी.

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन.

२. अनुसूची के कॉलम (४) में उल्लिखित उपबंधों को, कॉलम (५) में वर्णित सीमा तक और वर्णित रीति में, एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है.

व्यावृत्ति.

३. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा;

और यह अधिनियम, पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर, प्रभाव नहीं डालेगा; और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्द्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा.

अनुसूची

(धारा २ देखिए)

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१.	२०१२	१७	मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, २०१२	धारा ११ में, शब्द "तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा", के स्थान पर, शब्द "तो उस पर पांच हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की जाएगी", स्थापित किए जाएं.
२.	२००३	६	मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, २००३	(१) अध्याय सात में, धारा–३६ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :– "३६–क. अपराध का शमन.– (१) कोई अधिकारी, जो श्रम पदाधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो, यदि ऐसा श्रम आयुक्त द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए, इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के स्थापन के पूर्व या पश्चात् इस अधिनियम की धारा ३५ तथा ३६ के भंग करने के अपराध से आरोपित व्यक्ति को ऐसी राशि के संदाय पर जैसी कि उक्त अधिसूचना द्वारा विहित की जाए, प्रशमन के लिए अनुज्ञप्त कर सकेगा.

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				(२) इस अधिनियम के अधीन कर्मचारी की ओर से किसी अंशदान, शुल्क, कर एवं उपकर और विधिक देय की राशि के संदाय पर, यदि कोई हो, और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उप–नियम के अधीन यथा उपबंधित, शमन की ऐसी राशि के संदाय पर– (क) अपराधी किसी ऐसे अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा; और (ख) यदि कोई ऐसी कार्यवाही यथा पूर्वोक्त किसी व्यक्ति के विरूद्ध पहले से ही संस्थित की जा चुकी है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से उन्मोचित किया जाएगा.".
३.	१९६१	१७	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६०	(१) धारा ५९–क में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :– "(२) यदि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष या किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो कि रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, धारा ५९ की उपधारा (१) के अधीन कोई ऐसी पुस्तक या कोई ऐसे कागज–पत्र, जिन्हें प्रस्तुत करना उपधारा (१) के अधीन उस व्यक्ति का कर्तव्य हो, प्रस्तुत करने से इन्कार करे या किसी ऐसे प्रश्न का जो कि उससे उपधारा (१) के अनुसरण में रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा किया जाय, उत्तर देने से इन्कार करे, तो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस इन्कार को प्रमाणित कर सकेगा और रजिस्ट्रार कोई ऐसा कथन, जो कि प्रतिवाद में दिया जाय, सुनने के पश्चात् व्यतिक्रमी को ऐसी शास्ति से, जो पचास हजार रूपये से अधिक नहीं होगी, अधिरोपित कर सकेगा.". (२) धारा ७२–ख में, उपधारा (२) का लोप किया जाए. (३) अध्याय नवां में, विद्यमान अध्याय के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय का शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात् :– **"अपराध, अनियमितताएं, दण्ड एवं शास्तियां"."** (४) धारा ७४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाएं, अर्थात् :– **"७४. अपराध.**– इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, यदि— (क) कोई संचालक मंडल या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर कोई मिथ्या रिपोर्ट करता है या मिथ्या जानकारी देता है या लेखे रखने में बेईमानी से चूक करता है या मिथ्या लेखे बेईमानी से रखता है; या (ख) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने स्वयं के उपयोग या फायदे के लिये या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें की वह हितबद्ध है, उपयोग या फायदे के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के नाम उधार की जानबूझकर सिफारिश करता है या उसे उधार मंजूर करता है; या (ग) कोई अधिकारी या कोई सदस्य किन्हीं पुस्तकों, कागज पत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, परिवर्तित करता है, उनका मिथ्याकरण करता है या उनको गुप्त रखता है या उनको नष्ट किऐ जाने, विकृत किऐ जाने, परिवर्तित किये जाने, उनका मिथ्याकरण किये जाने या उनके गुप्त रखे जाने में संसर्गी है या सोसाइटी के किसी रजिस्ट्रार, लेखा पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्ट करता है या ऐसा किये जाने में संसर्गी है; या

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

(घ) कोई सदस्य ऐसी सम्पत्ति का, जिस पर कि सोसाइटी का पूर्विक दावा है, कपटपूर्ण व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति विक्रय, अन्तरण, बन्धक, दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का व्ययन सोसाइटी के शोध्यों का अपवंचन करने के कपटपूर्ण आशय से करता है; या

(ङ) जो कोई सचांलक मण्डल अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के पूर्व, दौरान या उसके पश्चात् कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है; या

(च) कोई अधिकारी उस सोसाइटी की, जिसका कि वह अधिकारी है, पुस्तकों, अभिलेखों, नगदी, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षण धारा ५३ या ७० के अधीन नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को जानबूझकर नहीं सौंपता है.

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे अधिकारी या सदस्य के, जो की इस धारा में निर्दिष्ट किया गया है, अंतर्गत यथास्थिति भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य भी आएगा.".

(५) धारा ७४ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :–

"**७४–क. अनियमितताएं.**–

इस अधिनियम के अधीन अनियमितता होगी, यदि–

(क) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिये अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति उस अंशदान को, उसकी प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, केन्द्रीय सहकारी बैंक, किसी नगरीय सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं करता है; या

(ख) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिये अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार एकत्रित की गईं निधियों का उपयोग, रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी सासाइटी के नाम से करता है या अथवा कोई कारोबार करने में या व्यापार करने में करता है; या

(ग) कोई अधिकारी या कोई सदस्य, जिसके पास जानकारी, पुस्तकें तथा अभिलेख हो, ऐसी जानकारी जानबूझकर नहीं देता या ऐसी पुस्तकें तथा कागज पत्र पेश नहीं करता है या रजिस्ट्रार द्वारा धारा ५३, ५८, ५९, ६०, ६७ तथा ७० के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किये गए किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता है; या

(घ) कोई नियोजक तथा ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला अन्य निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या अभिकर्ता धारा ४२ की उपधारा (२) के उपबंधों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना चूक करता है; या

(ङ) कोई व्यक्ति किसी ऐसी सम्पत्ति का,जो धारा ४० की उपधारा (१) के अधीन भार के अध्यधीन है, अर्जन करता है या उसके अर्जन में दुष्प्रेरणा करता है; या

(च) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नियमों के उल्लंघन में करता है; या

(छ) कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किसी समन, अध्यपेक्षा या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है; या

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				(ज) कोई नियोजक जो बिना किसी पर्याप्त कारण से, उसके द्वारा उसके कर्मचारी से काटी गई रकम का उस तारीख से, जिसको कि ऐसी कटौती की गई हो चौदह दिन की कालावधि के भीतर किसी सहकारी सोसाइटी को भुगतान करने में असफल रहता है. स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे अधिकारी या सदस्य के, जो कि इस धारा में निर्दिष्ट किया गया है, अंतर्गत यथास्थिति भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य भी आएगा.". (६) धारा ७५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :– "७५. अपराधों के लिए दण्ड.– किसी सोसाइटी की प्रत्येक संचालक मंडल, उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी ऐसी कार्यवाही पर, जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा ७४ में उल्लिखित किसी अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर ऐसे जुर्माने से जो रूपये ५०,०००/– से अधिक का नही होगा, दण्डित किया जा सकेगा.". (७) धारा ७५ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :– "७५–क. अनियमितताओं के लिए शास्ति.– किसी सोसाइटी की प्रत्येक संचालक मंडल, उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी ऐसी कार्यवाही पर, जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा ७४–क मे उल्लिखित अनियमितता के लिए रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी शास्ति से दण्डित किए जाने का दायी होगा जो रूपये २५,०००/– से अधिक की नहीं होगी.".
४.	१९६०	२७	मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९६०	(१) धारा ९३ के पश्चात्, अध्याय चौदह में निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात :– "९३–क. अपराध का शमन.– कोई अधिकारी जो श्रम पदाधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो, यदि ऐसा श्रम आयुक्त द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए, इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के स्थापन के पूर्व या पश्चात् इस अधिनियम की धारा ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२ एवं ९३ के भंग करने के अपराध से आरोपित व्यक्ति को ऐसी राशि के संदाय पर जैसी कि उक्त अधिसूचना द्वारा विहित की जाए, प्रशमन के लिए अनुज्ञप्त कर सकेगा. (२) इस अधिनियम के अधीन कर्मचारी की ओर से किसी विधिक देय की राशि के संदाय पर, यदि कोई हो, और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उप–नियम (१) के अधीन यथा उपबंधित, शमन की ऐसी राशि के संदाय पर,– (क) अपराधी किसी ऐसे अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा; और

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				(ख) यदि कोई ऐसी कार्यवाही यथा पूर्वोक्त किसी व्यक्ति के विरूद्ध पहले ही संस्थित की जा चुकी है तो ऐसा व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से उन्मोचित किया जाएगा.".
५.	१९५६	२३	मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६	(१) धारा १६५, १६६, ३०२, ३३२, ३४४, ३४५, ३४६, ३४६–क में शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" स्थापित किए जाएं.
				(२) धारा १७० और १७१ का लोप किया जाए.
				(३) धारा २०० में शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर, "शास्ति" और शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" स्थापित किए जाएं.
				(४) धारा २०१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :–
				"२०१. प्राधिकरण के बिना जल निकासों का निर्माण या परिवर्तन करना.– जो कोई आयुक्त की अनुमति के बिना निगम में निहित किसी भी नाले में जाने वाली नाली बनाता है या बनवाता है, या उसमें परिवर्तन करता है या परिवर्तन करवाता है, तो उसे पांच हजार रुपए तक की 'शास्ति' से दण्डित किया जाएगा तथा ऐसा कोई भी व्यय वहन करना होगा, जो उसे पुर्नस्थापित करने में कारित हुआ हो.".
				(५) धारा २३६ में उपधारा (२) में शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर, "शास्ति" और शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" स्थापित किए जाएं.
				(६) धारा ३३४ में शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर, "शास्ति" और शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" स्थापित किए जाएं.
				(७) धारा ३३५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :–
				"३३५. अनुज्ञा के बिना पर्चों का चिपकाया जाना.–
				(१) कोई भी जो, स्वामी या अधिवासी या उस समय किसी सम्पत्ति की देख–रेख रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना कोई भित्त–पत्र, पर्चा, सूचना–पत्र, भित्तिचित्र या अन्य कागज या विज्ञापन का साधन किसी सड़क, भवन, दीवार, पेड़, तख्ते, अहाते या घेरे के सहारे या उस पर लगाएगा अथवा लगवाएगा अथवा किसी भी ऐसे भवन, दीवार, पेड़, तख्ते, अहाते या घेरे पर खड़िया या रंग से या किसी भी अन्य रीति में लिखेगा, या उसे गंदा, विरूपित या चिह्नित करेगा, ऐसी शास्ति से दण्डनीय होगा, जो दो हजार रुपये, तक हो सकती है.
				(२) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आयुक्त उसकी अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक सूचना–पत्र द्वारा किसी भी निर्दिष्ट बस्ती या सड़क पर किसी भी भवन या भवन के भाग, दीवार, वृक्ष, तख्ते, अहाते या घेरे का उपयोग निषिद्ध कर सकेगा ऐसे सार्वजनिक सूचना–पत्र के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, उसकी अनुज्ञा के बिना, या
				ऐसी अनुज्ञा के उल्लंघन में किसी भी भवन, दीवार, वृक्ष, तख्ते, अहाते या घेरे का उपयोग नहीं करेगा. कोई भी, बिना अनुमति और आयुक्त के आदेश के उल्लंघन में किसी भी भवन, दीवार, वृक्ष, तख्ते, अहाते या घेरे का उपयोग करता है, तो ऐसी शास्ति जो दो हजार रुपये, तक हो सकती है या दूसरी बार लगातार उल्लंघन की दशा में पांच हजार रुपये, से दण्डनीय होगा."
				(८) धारा ३४३ में, शब्द " अर्थदण्ड" के स्थान पर, "शास्ति', शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" और शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "सौ" स्थापित किया जाए.

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				(६) धारा ४२८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :– "४२८. उपविधियों के भंग के लिए शास्तियां.– (१) धारा ४२७ के अधीन उप–विधि बनाते समय निगम इस बात की व्यवस्था कर सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन या उल्लंघन के लिए प्रोत्साहन– (क) ऐसी शास्ति से जो पाँच हजार रुपये, तक की हो सकेगा तथा चालू रहने वाले भंग की दशा में ऐसी शास्ति से, जो प्रथम भंग के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान भंग चालू रहे, एक सौ रुपये, तक की हो सकेगी; या (ख) ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसको आयुक्त की ओर से उल्लंघन को चालू न रखने की लिखित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उल्लंघन चालू रहे, दस रूपए तक हो सकती है, दण्डनीय होगा. (२) ऐसी शास्ति के बदले में या उसके अतिरिक्त, आयुक्त, उल्लंघन करने वाले को, जहाँ तक उसकी शक्ति में हो, रिष्टि का परिमार्जन करने का आदेश दे सकेगा. (१०) धारा ४३४ में, शब्द "अर्थदण्ड" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" स्थापित किया जाए तथा उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात :– (२) कोई भी जो उपधारा (१) के खण्ड (अ) या (आ) के अधीन किसी भी अपराध का सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात ऐसा अपराध करता रहेगा, प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें वह ऐसा अपराध करना चालू रखे, ऐसी शास्ति से दंडित होगा जो उक्त सारणी के चौथे कॉलम में उल्लिखित राशि तक हो सकेगी.".
६.	१९६१	३७	मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम,१९६१	(१) धारा १४५ तथा २२८ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" स्थापित किए जाएं. (२) धारा १७९ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर "शास्ति", शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" स्थापित किए जाएं. (३) धारा १८२ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" स्थापित किए जाएं. (४) धारा १८५ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" तथा शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "पचास" स्थापित किए जाएं. (५) धारा १८७ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द 'शास्ति" तथा शब्द "एक हजार" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार" स्थापित किए जाएं. (६) धारा १९४ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", शब्द "दो सौ तथा पचास" के स्थान पर, शब्द "दो हजार" तथा शब्द "पांच" के स्थान पर, शब्द "पचास" स्थापित किए जाएं. (७) धारा १९८ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", तथा शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "दो सौ तथा पचास" स्थापित किए जाएं. (८) धारा २१२ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", तथा शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "दो सौ तथा पचास" स्थापित किए जाएं. (९) धारा २२२ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", तथा शब्द "सौ" के स्थान पर, शब्द "एक हजार" स्थापित किए जाएं.

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				(१०) धारा २२४ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "पाँच सौ" तथा शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "पचास" स्थापित किए जाएं.
				(११) धारा २२५ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", तथा शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "पाँच सौ" स्थापित किए जाएं.
				(१२) धारा २२६ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "दो सौ तथा पचास" तथा शब्द "दस"" के स्थान पर, शब्द "पचास" स्थापित किए जाएं.
				(१३) धारा २३६ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "दो सौ तथा पचास" स्थापित किए जाएं.
				(१४) धारा २४० में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" तथा शब्द "पांच" के स्थान पर, शब्द "पचास" स्थापित किए जाएं.
				(१५) धारा २४२ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "दो सौ तथा पचास" तथा शब्द "पांच" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस" स्थापित किए जाएं.
				(१६) धारा २५५ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" तथा शब्द "पांच सौ" के स्थान पर, शब्द "दो हजार" स्थापित किए जाएं.
				(१७) धारा २६० की उपधारा (२) में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", तथा शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" स्थापित किए जाएं.
				(१८) धारा २६० की उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :–
				"(३) किसी स्थान के संबंध में उपधारा (२) के अधीन दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, किन्तु अन्यथा नहीं, ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का इस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी स्थान को बंद कर देने का इस प्रकार आदेश दिए जाने के पश्चात् उसका इस प्रकार उपयोग करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, वह शास्ति से, जो उस स्थान को बन्द करने के उस प्रकार आदेश हो चुकने के पश्चात्, के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह उस स्थान का इस प्रकार उपयोग करना जारी रखे या ऐसा उपयोग करने की अनुज्ञा दे, पचास रुपए तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.".
				(१९) धारा २६८ की उपधारा (५) में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", तथा शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" स्थापित किए जाएं.
				(२०) धारा २६८ की उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :–
				"(६) किसी स्थान के संबंध में उपधारा (५) के अधीन दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, किन्तु अन्यथा नहीं ऐसे स्थान को, बन्द करने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे स्थान को बन्द कर देने का इस प्रकार आदेश दिए जाने के पश्चात् उसका उस इस प्रकार से उपयोग करेगा या करने की अनुज्ञा देगा,

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				वह शास्ति से, जो उस स्थान को, बन्द करने के उस प्रकार आदेश हो चुकने के पश्चात् के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह उसका इस प्रकार उपयोग करना जारी रखे या ऐसा उपयोग करने की अनुज्ञा दे, पचास रुपए तक हो सकेगी दण्डनीय होगा.".
				(२१) धारा २७२ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" तथा शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "पचास" स्थापित किए जाएं.
				(२२) धारा २७२ की उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :–
				"(४) उपधारा (३) के अधीन किसी स्थान के संबंध में उल्लंघन करने वाले पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, किन्तु अन्यथा नहीं ऐसे स्थान को बन्द कर देने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का उस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा.".
				(२३) धारा २८३ की उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :–
				"(२) जो कोई उपधारा (१) के अधीन सूचना दिए जाने के पश्चात् किसी भवन या स्थान का ऐसी रीति में उपयोग करने की अनुज्ञा देगा जो पड़ोस के लिए न्यूसेंस है या जो जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए खतरनाक है, शास्ति से जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगी, तथा ऐसी और शास्ति से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसकी प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा उपयोग तथा उपयोग करने की अनुज्ञा चालू रही है, पचास रुपए तक का हो सकेगी, दंडित किया जाएगा.".
				(२४) धारा २८३ की उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :–
				"(४) जो कोई अनुज्ञप्ति के बिना या अनुज्ञप्ति के निलंबित रहने के दौरान या अनुज्ञप्ति के प्रत्याहृत कर लिए जाने के पश्चात् किसी ऐसी नगरपालिका में, जिनमें ऐसी उपविधियां तत्समय प्रवृत्त हैं, जो ऐसी शर्तें, जिन पर जिनके अध्यधीन, ऐसी परिस्थितियां जिनमें और ऐसे क्षेत्र या परिक्षेत्र, जिनके संबंध में, ऐसे उपयोग के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की जा सकती हैं, उन्हें प्रदान करने से इंकार किया जा सकता है, उन्हें निलंबित किया जा सकता है या उन्हें प्रत्याहत किया जा सकता है, विहित करती है, उपधारा (१) में वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए किसी स्थान का उपयोग करेगा, वह शास्ति से जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी, तथा ऐसी और शास्ति से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसा उपयोग चालू रहे, पचास रुपए तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा.".
				(२५) धारा २८५ में, शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", तथा शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" स्थापित किए जाएं.
				(२६) धारा ३०० में, शब्द "मजिस्ट्रेट" के स्थान पर, शब्द "मुख्य नगरपालिका अधिकारी", शब्द जुर्माना" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", तथा शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" स्थापित किए जाएं.
७.	१९७३	२३	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३	धारा ७७ की उपधारा (२) का लोप किया जाये.

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
८.	१९७३	४४	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३	धारा ३९ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :– "३९–क. अपराध का शमन– (१) इस अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (४), धारा ३८ तथा धारा ३९ का उल्लंघन होने पर रजिस्ट्रार, व्यतिक्रम करने वाली समिति/पदाधिकारी/ व्यक्ति द्वारा रूपए दो हजार पांच सौ की राशि के भुगतान करने पर, उपरोक्त उल्लिखित धारा के अधीन उक्त उल्लंघन के शमन को अनुज्ञप्त कर सकेगा.". (२) उपधारा (१) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शमनीय राशि के भुगतान पर, व्यतिक्रम करने वाली समिति/पदाधिकारी/व्यक्ति को उपरोक्त उल्लिखित धाराओं के अधीन उक्त उल्लंघन से विमुक्त कर दिया जाएगा तथा अभियोजन का दायी नहीं होगा.".

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

सरकार का उद्देश्य विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देना, अनुपालन के भार को कम करना तथा राज्य के अधिनियमों में अपराधों के अपराधमुक्तकरण और तर्कसंगतिकरण के लिए विभिन्न उपबंधों में संशोधन करते हुए ईज ऑफ़ लिविंग और ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाना है. इस संदर्भ में, गौण अपराधों को अपराधमुक्त करने और दंड राशि को युक्तिसंगत बनाने के लिए निम्नलिखित अधिनियमों के कुछ प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं.

२. उक्त उपबंधों में किए जा रहे संशोधनों को संकलित करने के लिए "मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक, २०२४" प्रस्तावित किया जा रहा है.

३. यह विधेयक विनियमनों को सुव्यवस्थित कर निवेश आकर्षित करने, प्रशासनिक दक्षता सुधारने और शास्तियों के लिए एक न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी ढांचा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जो मध्यप्रदेश में सतत् विकास, उद्यमिता और व्यवसाय–अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करेगा.

४. इज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए गौण अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए निम्नलिखित अधिनियमों में समुचित संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं :–

(१) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६)

(२) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१)

(३) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३)

(४) मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१२ (क्रमांक १७ सन् २०१२)

(५) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१)

(६) मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, २००३ (क्रमांक ०९ सन् २००३)

(७) मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९६० (क्रमांक २७ सन् १९६०)

(८) मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३)

५. अतएव मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, २०२४ प्रस्तावित किया जा रहा है.

६. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक : १२ दिसम्बर २०२४.

दिलीप अहिरवार
भारसधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, २०१२ (क्रमांक १७ सन् २०१२) से उद्धरण

* * * *

धारा ११. यदि कोई फ्रेन्चाइजी, उत्पादक, कैप्टिव उत्पादक संयंत्र, उत्पादन कंपनी या उपभोक्ता जिससे धारा ८ के अधीन ऐसा किया जाना अपेक्षित है,–

(क) धारा ८ के अधीन विरचित किये गये किसी नियम के अनुसार किन्हीं पुस्तकों, लेखाओं या अभिलेखों को रखने में या विवरणियाँ प्रस्तुत करने में असफल रहता है; या

(ख) किसी निरीक्षक को, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके कर्तव्यों का पालन करने या शक्तियों का प्रयोग करने में साशय बाधा पहुँचाता है,

तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

* * *

मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, २००३ (क्रमांक ६ वर्ष २००३) से उद्धरण

* * * *

धारा ३६ जो कोई, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह, यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या असफलता के लिए जुमनि से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, और यथास्थिति, जारी रहने वाले उबंधन या असफलता की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो पैसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या असफलता ऐसे प्रथम उल्लंघन या असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहती है एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

* * *

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) से उद्धरण

धारा

धारा–५९–ए–क ५९–ए–क. **जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य.**

(२) यदि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष या किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो कि रजिस्ट्रार द्वारा धारा ५९ की उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, कोई ऐसी पुस्तक या कोई ऐसे कागज–पत्र,जिन्हें पेश करना उपधारा (१) के अधीन उस व्यक्ति का कर्तव्य है, पेश करने से इन्कार करे या किसी ऐसे प्रश्न का जो कि उससे रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा किया जाय, देने से इन्कार करे, तो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस इन्कार को प्रमाणित कर सकेगा और रजिस्ट्रार कोई ऐसा कथन, जो कि प्रतिवाद में दिया जाय, सुनने के पश्चात् व्यक्तिक्रमी को शास्ति से, जो पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, दण्डित कर सकेगा. इस धारा के अधीन शास्ति के रूप में अधिरोपित की गई कोई राशि, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा उसी प्रकार वसूलीय होगी मानों कि वह स्वयं उस मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना हो.

धारा–७२ **७२–बी–ख. भू–खण्ड, भवन और सुख सुविधाओं के लिए सदस्य की हकदारी तथा व्यय का दायित्व**

(२) किसी गृह निर्माण सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य, साधारण सभा के प्रत्येक सम्मिलन में उपस्थित रहेगा जिसकी कि जानकारी उसे गृह निर्माण सोसाइटी की समिति के सचिव से प्राप्त होती हो और समिति को पूर्व सूचना के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में प्रत्येक व्यक्तिक्रम के लिए जैसा कि साधारण सभा द्वारा विनिश्चय किया जाए, २०० रूपये से अनधिक के जुर्माने के संदाय करने का दायी होगा :

परन्तु कोई भी जुर्माना तक तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

नवां अध्याय – अपराध तथा शास्तियां

धारा–७४ ७४. अपराध. इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि.–

(ए–क) कोई संचालक मंडल या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर कोई मिथ्या रिपोर्ट करता है या मिथ्या जानकारी देता है या लेखे रखने में बेईमानी से चूक करता है या मिथ्या लेखे बेईमानी से रखता हैय या

(बी–ख) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिए अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति उस अंशदान को, उसकी प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, केन्द्रीय सहकारी बैंक, किसी नगरीय सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं करता है; या

या (सी–ग) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिए अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार एकत्रित की गई निधियों का उपयोग, रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी सोसाइटी के नाम से करता है या अन्यथा कोई कारोबार करने में या व्यापार करने में करता है; या

(डी–घ) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने स्वयं के उपयोग या फायदे के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें कि वह हितबद्ध है, उपयोग या फायदे के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के नाम उधार की जानबूझकर सिफारिश करता है या उसे उधार मंजूर करता है; या

(ई–ङ) कोई अधिकारी या कोई सदस्य किन्हीं पुस्तकों, कागजपत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, परिवर्तित करता है, उनका मिथ्याकरण करता है या उनको गुप्त रखता है या उनको नष्ट किये जाने, विकृत किये जाने, परिवर्तित किये जाने, उनका मिथ्याकरण किया जाने या उनके गुप्त रखे जाने में संसर्गी है या सोसाइटी के किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करता है या ऐसा किया जाने में संसर्गी है; या

(एफ/च) कोई अधिकारी या कोई सदस्य, जिसके पास जानकारी, पुस्तकें तथा अभिलेख हों, ऐसी जानकारी जानबूझ कर नहीं देता या ऐसी पुस्तकें तथा कागजपत्र पेश नहीं करता है या रजिस्ट्रार द्वारा धारा ५३, ५८, ५९, ६०, ६७ तथा ७० के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति की सहायता नही करता है; या

(जी/छ) कोई अधिकारी उस सोसाइटी की, जिसका कि वह अधिकारी है, पुस्तकों अभिलेखों, नगदी, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षण धारा ५३ या ७० के अधीन नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को जानबूझकर नहीं सौंपता है; या

(एच/ज) कोई सदस्य ऐसी सम्पत्ति का, जिस पर कि सोसाइटी का पूर्विक दावा है, कपटपूर्ण व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति विक्रय, अन्तरण, बंधक, दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का व्ययन सोसाइटी के शोध्यों का अपवंचन करने के कपटपूर्ण आशय से करता है; या

(आई/झ) कोई नियोजक तथा ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला अन्य निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या अभिकर्ता धारा ४२ की उपधारा (२) के उपबंधों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना चूक करता है; या

(जे/ञ) कोई व्यक्ति किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो धारा ४० की उपधारा (१) के अधीन भार के अध्यधीन है, अर्जन करता है या उसके अर्जन में दुष्प्रेरण करता है; या

(के/ट) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है या ऐसे कार्य लोप का दोषी है जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है; या

(एल/ठ) कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किसी समन, अध्यपेक्षा या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है; या

(एम/ड) कोई नियोजक जो बिना किसी पर्याप्त कारण से, उसके द्वारा उसके कर्मचारी से काटी गई रकम का उस तारीख से, जिसको कि ऐसी कटौती की गई हो चौदह दिन की कालावधि के भीतर किसी सहकारी सोसाइटी को भुगतान करने में असफल रहता है; या

(एन/ढ) जो कोई संचालक मण्डल अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के पूर्व, दौरान या उसके पश्चात् कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है.

स्टीकरण. इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे अधिकारी या सदस्य के, जो कि इस धारा में निर्दिष्ट किया गया है, अंतर्गत यथास्थिति भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य भी आवेगा.

धारा–७५

७५. **अपराधों के लिए शास्तियां.** क़िसी सोसाइटी की प्रत्येक संचालक मंडल, उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी ऐसी कार्यवाही पर, जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसके बिरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना.–

(ए/क) जुर्माने से, जो ५०,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (क) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(बी/ख) जुर्माने से, जो २५,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (ख) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(सी/ग) जुर्माने से, जो २५,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (ग) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(डी/घ) जुर्माने से, जो ५०,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (घ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ई/ङ) जुर्माने से, जो ५०,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (ङ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(एफ/च) जुर्माने से, जो २५,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (च) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(जी/छ) जुर्माने से, जो २५,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (छ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(एच/ज) जुर्माने से, जो ५०,००० रुपये से अधिक नही होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (ज) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(आई/झ) जुर्माने से, जो २५,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (झ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(जे/ञ) जुर्माने से, जो २५,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (ञ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(के/ट) जुर्माने से, जो २५,००० रुपये से अधिक नही होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (ट) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या)–

(एल/ठ) जुर्माने से, जो २५,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (ठ) में निर्दिष्ट किए गए किसी अपरांध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(एम/ड) जुर्माने से, जो २५,००० रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (ड) में निर्दिष्ट किए गए किसी अपराध का सिंद्धदोष ठहराया गया हो; या

(एन/ढ) जुर्माने से, जो ५०,००० रुपय्ये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा ७४ (ढ) में निर्दिष्ट किए गए किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो.

* * *

मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९६० (क्रमांक २७ सन् १९६०) से उद्धरण

* * *

धारा ६३. उन अपराधों के लिए शास्ति जिनके लिए अन्यत्र उपबंध नहीं किया गया है

जो कोई ' इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के या उसके अधीन दिए गए किसी लिखित आदेश के उपबन्धों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई अन्य शास्ति अन्यत्र उपबंधित न की गई हो, जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, तथा उस दशा में जबकि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए किसी नियम के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में सिद्धदोष ठहराया जा चुका हो, जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

* * *

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) से उद्धरण

* * *

धारा १६५– नगरपालिक के करारोपण के दायित्व के संबंध में सही जानकारी प्रस्तुत करने का कर्तव्य

(१) आयुक्त द्वारा इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत पदाधिकारी की मांग पर प्रत्येक व्यक्ति ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसी कि इस बात का निश्चय करने के लिए आवश्यक हो कि क्या ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई कर देने का भागी है, और यदि ऐसा है तो कितना; और प्रत्येक होटल या वासगृह (लॉजिंगहाउस) रखने वाला या आवासी क्लब का सेक्रेटरी भी पूर्वोक्त रूप से मांग किए जाने पर ऐसे होटल, वासगृह या क्लब में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करेगा.

(२) यदि कोई व्यक्ति, जिसे जानकारी प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार आदेश दिए गए हों, ऐसा करने में परित्यक्ति करेगा या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो उसके ज्ञान में असत्य हो, तो वह ऐसे अर्थ–दण्ड से दण्डनीय होगा, जो [१](एक हजार रुपये) तक का हो सकता है.

धारा १६६– स्वामी के नाम तथा पते के संबंध में सही जानकारी प्रस्तुत करने का अधिवासी का कर्तव्य

यदि किसी भूमि या भवन का अधिवासी, उचित कारण के बिना धारा १३६ के अधीन निर्वाह किए गए सूचना–पत्र का पालन करने में उपेक्षा या इन्कार करेगा अथवा ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो उसकी जानकारी में असत्य हो, तो वह ऐसे अर्थ–दण्ड से दण्डनीय होगा, जो [१](एक हजार रुपये) तक का हो सकता है.

धारा १७० (१) – यदि किसी वाहन या गाँठ को, जिसके आयात पर पथकर या उपकर के वसूली योग्य होने का विश्वास किया जाए, नगर की नियत सीमाओं के भीतर लाने वाला या प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति इस संबंध में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी या सेवक की मांग पर उस वाहन या गांठ में रखी हुई वस्तुओं का यह निश्चय करने के आशय के लिए कि क्या उसमें ऐसी कोई वस्तु है जिसके संबंध में आयात पर पथ कर या उपकर वसूली योग्य है, उस पदाधिकारी या सेवक को निरीक्षण, तौल या अन्यथा परीक्षण करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करेगा या उस पदाधिकारी को कोई ऐसी सूचना संवहित करने से या उसे कोई बिल, बीजक या समान प्रकार की लिखतम प्रदर्शित करने से, जो कि उस वस्तु के संबंध में उसके आधिपत्य में हो, इन्कार करेगा या निगम को धोखा देने के अभिप्राय से मिथ्या जानकारी संवहित करेगा अथवा कोई मिथ्या, जाली या छलपूर्ण बिल, बीजक या समान प्रकार की लिखतम प्रदर्शित करेगा तो वह ऐसे अर्थ दण्ड से दंडित होगा जो या तो अभिकर के जो कि वस्तुओं पर वसूली योग्य दस गुने तक हो या [१](एक हजार रुपये) तक, जो भी अधिक हो, हो सकता है.

(२) कोई भी ऐसा व्यक्ति यह मांग कर सकेगा कि वाहन या गांठ या दोनों ही, जैसी कि दशा हो, बिना किसी अनावश्यक विलंब के आयुक्त के या इस आशय के लिए उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष ले जाएँ, जो उसका निरीक्षण अपनी उपस्थिति में करवाएगा.

* * *

धारा १७१ – पथकर या उपकर का भुगतान करने से बचने के लिए शास्ति यदि निगम की सीमाओं में होकर निकलने वाले पशु या वस्तु आयात पर देय पथकर या उपकर के भुगतान के लिए दायी हो, तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो निगम के साथ कपट करने के अभिप्राय से किन्हीं ऐसे पशुओं या वस्तुओं का प्रवेश कराएगा या उसे प्रोत्साहित करेगा या उक्त सीमाओं के भीतर स्वयं उनको लाएगा या लाने की चेष्टा करेगा जिन पर कि ऐसे प्रवेश पर देय पथकर या उपकर का भुगतान न तो किया गया हो और न प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अर्थ–दण्ड से दण्डित किया जाएगा जो या तो आयात पर देय ऐसे पथकर या उपकर के मूल्य के दस गुने तक या (एक हजार रुपये) तक, जो भी अधिक हो, हो सकता है.

* * *

धारा २००– कोई भी जो, आयुक्त की अनुज्ञा के बिना, किसी मौरी, चहबच्चे के मल–मूत्र या किसी अन्य उद्वेजक पदार्थ के किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर या किसी सिंचन–नहर या जल–निकास में, जो इस आशय के लिए पृथक् न रखा गया हो, बहवाएगा, निष्कासित कराएगा या रखवाएगा या जानबूझकर या प्रभावपूर्वक बहने देगा, निष्कासित करने देगा या रखने देगा, ऐसे अर्थदंड से दंडित किया जाएगा, जो [१](पाँच सा रुपये) तक हो सकता है.

धारा २०१ – प्राधिकार के बिना जल–निकासों का निर्माण या उनमें परिवर्तन करना कोई भी, जो आयुक्त की अनुज्ञा के बिना किसी भी ऐसे जल–निकास का निर्माण करेगा या करवाएगा या उसमें परिवर्तन करेगा या करवाएगा, जो निगम में वेष्टित जल–निकासों में से किसी जल–निकास तक जाता हो, ऐसे अर्थ–दंड से दंडित होगा, जो [१](पाँच सौ रुपये) तक हो सकता है.

* * *

धारा २३६ – (१) कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आयुक्त की अनुज्ञा के बिना निगम द्वारा निर्मित या उसके द्वारा रखे गए या उसमें वेष्ठित किसी भी भूमिगत केबल, तार, नल, फेरूल, जल निकास या जल प्रवाह से किसी भी आशय के लिए कोई संयोजन या संवहन नहीं करेगा या कराएगा.

(२) उपधारा (१) के निर्बन्धनों के उल्लंघन में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे अर्थ–दंड से दंडित होगा जो [१](पाँच सो रुपये) से अधिक का नहीं हो.

* * *

धारा ३०२ – (१) किसी भी ऐसी दशा में जिसमें भवन का निर्माण अवैध रूप से प्रारंभ किया गया हो या चालू हो, जैसा कि धारा ३०७ में वर्णित है, आयुक्त लिखित सूचना–पत्र द्वारा यह आदेशित कर सकेगा कि ऐसे सूचनापत्र के निर्वाह के दिनांक से भवन निर्माण कार्य बंद कर दिया जाए.

(२) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे सूचनापत्रों के निर्बन्धनों का पालन नहीं करेगा, ऐसे अर्थ दण्ड से दंडनीय होगा, जो [१](पाँच हजार रुपये) तक हो सकता है और यदि वह, उसके ऐसा न करने का प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे सूचनापत्र के निर्बन्धनों का पालन नहीं करेगा तो ऐसे और अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें अपराध चालू रहे [१](दो सौ रुपये) तक हो सकता है.

* * *

धारा ३३२ – (१) कोई भी व्यक्ति आयुक्त की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी पेड़ को या किसी भी पेड़ की शाखा को नहीं काटेगा, या किसी भवन या भवन के भागका निर्माण नहीं करेगा या उसको नहीं गिराएगा या किसी भवन के बाहरी भाग में परिवर्तन या उसकी मरम्मत नहीं करेगा, जहाँ ऐसा कार्य इस प्रकार का हो जिससे सड़क का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाधा, भय या उद्वेजन पहुंचे या जो बाधा, भय या उद्वेजन पहुंचने की जोखिम उत्पन्न करे.

(२) आयुक्त किसी भी समय सूचना–पत्र देकर यह आदेशित कर सकेगा कि उपधारा (१) में उल्लेखित कोई भी कार्य करने वाला या उनका किया जाना प्रस्तावित करने वाला कोई भी व्यक्ति उस समय तक उस कार्य को प्रारंभ या चालू करने से विरत रहे जब तक कि वह सूर्यास्त से सूर्योदय तक ऐसे घेरे या ओट पर, जैसी कि सूचना–पत्र में निर्दिष्ट या वर्णित की जाए, पर्याप्त प्रकाश न लगा दे तथा उसको न बनाए रखे एवं उसकी व्यवस्था न करे और उक्त कार्यों की प्रत्याशा में या उनके अनुसरण में निर्मित किसी भी घेरे या ओट को किसी भी समय सूचना पत्र द्वारा, सूचना–पत्र

में निर्दिष्ट समय के भीतर हटाने को आदेशित कर सकेगा प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन या परित्यक्ति चालू रहे, '(पचास रुपये) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा.

(३) आयुक्त कोई ऐसा सूचना–पत्र देने से पूर्व या किसी ऐसे सूचना–पत्र का काल समाप्त होने से पूर्व ऐसे अस्थायी उपाय ग्रहण कर सकेगा जिन्हें कि वह उक्त स्थान से जोखिम की रोक करने के लिए या ऐसे कार्य पर सुरक्षा तथा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझे और ऐसे अस्थायी उपायों को ग्रहण करने में आयुक्त द्वारा किए गए किसी भी व्यय का भुगतान उस स्थान के स्वामी या अधिवासी द्वारा किया जाएगा, जिसका उक्त सूचना–पत्र में उल्लेख हो.

(४) कोई भी, जो उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उपधारा (२) के अधी सूचना–पत्र के निर्बन्धनों का पालन करने में परित्यक्ति करेगा ऐसे अर्थ–दण्ड से जो '(पाँच सौ रुपये) तक हो सकता है और निरंतर उल्लंघन या परित्यक्ति की दशा में ऐसे और अर्थ दण्ड से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन या परित्यक्ति चालू रहे, '(पचास रुपये) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा.

* * *

धारा ३३४ – दिशासूचक–स्तम्भों, दीप–स्तम्भों आदि का नष्ट किया जाना कोई भी, जो आयुक्त द्वारा प्राधिकृत हुए बिना, किसी भी नगरपालिक दिशासूचक–स्तंभ, दीपस्तम्भ या दीप या निगम की किसी भी सम्पत्ति को विरूपित करेगा या उसके साथ छेड़छाड़ करेगा या उसे क्षति पहुंचाएगा या किसी भी सार्वजनिक स्थान में किसी भी नगरपालिक प्रकाश को बुझाएगा, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो '(एक हजार रुपये) तक हो सकता है.

धारा ३३५ – (१) कोई भी जो, स्वामी या अधिवासी या उस समय किसी सम्पत्ति की देख–रेख रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना कोई भित्त–पत्र, पर्चा, सूचना–पत्र, भित्तिचित्र या अन्य कागज या विज्ञापन का साधन किसी सड़क, भवन, दीवार, पेड़, तख्ते, अहाते या घेरे के सहारे या उस पर लगाएगा अथवा लगवाएगा अथवा किसी भी ऐसे भवन, दीवार, पेड़, तख्ते, अहाते या घेरे पर खडिया या रंग से या किसी भी अन्य रीति में लिखेगा, या उसे गंदा, विरूपित या चिह्नित करेगा, ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो '(दो सो रुपये) तक हो सकता है.

(२) उपधारा (१) में कोई बात निहित ही क्यों न हो, आयुक्त उसकी अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक सूचना–पत्र द्वारा किसी भी निर्विष्ट बस्ती या सड़क पर किसी भी भवन या भवन के भाग, दीवार, वृक्ष, तख्ते, अहाते या घेरे का उपयोग निषिद्ध कर सकेगा.

ऐसे सार्वजनिक सूचना–पत्र के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, उसकी अनुज्ञा के बिना, या ऐसी अनुज्ञा के उल्लंघन में किसी भी भवन, दीवार, वृक्ष, तख्ते, अहाते या घेरे का उपयोग नहीं करेगा. इस धारा के अधीन किए गए अभियोजन में, न्यायालय, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, यह अनुमान कर सकेगा कि पर्चा, सूचना–पत्र, भित्तिचित्र या अन्य कागज या विज्ञापन के अन्य साधनों का ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदर्शन किया गया है या वे चिपकाए गए हैं, जिसके लाभ के लिए ऐसा विज्ञापन किया गया है.

(३) धारा ३६६ में चाहे कोई भी बात निहित क्यों न हो, न्यायालय ऐसी सम्पत्ति के, जिसके संबंध में ऐसा अपराध किया जाना कथित हो, स्वामी या अधिवासी या देख–रेख रखनेवाले अन्य व्यक्ति की शिकायत पर इस धारा की उपधारा (१) के अधीन किए गए अपराध के संबंध में विचार कर सकेगा.

* * *

धारा ३४३ – (१) कोई भी व्यक्ति किसी कारखाने या अन्य स्थान में आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना जिसे प्रदान करने में आयुक्त उन समयों की आयंत्रित करते हुए जब ऐसी सीटी या तुरही या अन्य साधन उपयोग में लाया जा सकेगा, ऐसे प्रतिबंध लगा सकेगा जैसे वह उचित समझे, मजदूरों या काम पर लगाए गए व्यक्तियों को बुलाने या उन्हें काम से विसर्जित करने के आशय के लिए कोई भी ऐसी सीटी या तुरही या ऐसी कोई भी अन्य यांत्रिक साधन जिससे उद्वेजक ध्वनि निकलती हो, उपयोग या प्रयोग में नहीं लाएगा और न कोई व्यक्ति ऐसे कारखाने या स्थान में किसी इंजन की निर्गम नलिका से निकलने वाली ध्वनि को किसी साधन से बढ़ाएगा.

(२) आयुक्त उपधारा (१) के अधीन दी गई किसी भी अनुज्ञा को एक मास का सूचना–पत्र देकर निरस्त कर सकेगा.

(३) कोई भी जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी सीटी, तुरही या अन्य साधन को उपयोग में या प्रयोग

में लाएगा, ऐसे अर्थदण्ड से जो [1](पाँच सौ रुपये) तक का हो सकता है और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रहा हो ऐसे और अर्थ दण्ड से, जो [1](पचास रुपये) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा.

धारा ३४४ – आग्नेय–अस्त्रों का चलाया जाना– कोई भी जो ऐसी रीति में आग्नेय–अस्त्र चलाएगा या आतिशबाजी, धमाके का विस्फोटक छोड़ेगा अथवा किसी भी क्रीड़ा में ऐसी रीति में व्यस्त होगा जिससे पास में आने–जाने वाले या रहने वाले या कार्य करने वाले व्यक्तियों को भय लगे या उद्वेजन हो या भय लगने या उद्वेजन होने की संभावना हो या संपत्ति को हानि पहुंचने की जोखिम हो, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो [1](दो सौ रूपए) के अनुसार होगा.

धारा ३४५ – खदान खनन, सुरंग लगाना, इमारती लकड़ी काटना या भवन निर्माण– कोई भी जो ऐसी रीति में खदान खनन करेगा, सुरंग लगाएगा, इमारती लकड़ी काटेगा या भवन–निर्माण कार्य करेगा या जिससे पास में आने–जाने वाले या रहने वाले या कार्य करने वाले व्यक्तियों को भय लगे या भय लगने की संभावना हो, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो [1](पाँच सौ रुपये) तक हो सकता है.

धारा ३४६ – सार्वजनिक स्थलों पर खड़े हुए वृक्ष या पौधे की शाखाओं आदि का छांटा जाना कोई भी आयुक्त की अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक स्थान पर खड़े हुए किसी भी वृक्ष या पौधे की शाखाओं या टहनियों को छांटेगा या काटेगा या ऐसे वृक्ष या पौधे के फलों–फूलों या पत्तियों को तोड़ेगा अथवा उनको किसी भी प्रकार की क्षतिपहुंचाएगा, ऐसे अर्थ दण्ड से जो [1](एक हजार रुपये) तक हो सकता है, या द्वितीय या पश्चात्वर्ती उल्लंघन की दशा में [1](दो हजार रुपये) का हो सकता है, दण्डनीय होगा.

धारा ३४६ ए – कोई भी जो ऐसी नाली या पात्र, जिसकी कि इस आशय के e लिए निगम द्वारा व्यवस्था की गई हो, के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान में थूकेगा, ऐसे अर्थदण्ड से, जो (दो सौ पचास रुपये) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा.

* * *

धारा ४२८ – उपविधियों के उल्लंघन के लिए शास्तियाँ (१) धारा ४२७ के अधीन उप–विधि बनाते समय निगम इस बात की व्यवस्था कर सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन या उल्लंघन के लिए प्रोत्साहन (क) ऐसे जुर्माने से जो [2](पाँच हजार रुपये) तक का हो सकेगा तथा चालू रहने वाले भंग की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो प्रथम भंग के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान भंग चालू रहे, [1](एक सौ रुपये) तक का हो सकेगा; या)

(ख) ऐसे अर्थ–दण्ड से, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसको आयुक्त की ओर से उल्लंघन को चालू न रखने की लिखित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उल्लंघन चालू रहे, दस रुपये तक हो सकता है दण्डनीय होगा.

(२) ऐसे अर्थ दण्ड के बदले में या उसके अतिरिक्त, मजिस्ट्रेट, अपराधी को, जहाँ तक उसकी शक्ति में हो, दुष्कृत्य का परिमार्जन करने का आदेश दे सकेगा.

* * *

धारा ४३४ – (१) कोई भी जो–

(अ) निम्नलिखित तालिका के प्रथम स्तम्भ में उल्लेखित इस अधिनियम के किन्हीं भी आदेशों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों) का उल्लंघन करेगा; या

(आ) किन्हीं भी उक्त आदेशों या नियमों या उपविधियों) के अधीन उसे विधिवत किए गए किसी निर्देश या उससे विधिवत की गई किसी मांग का पालन नहीं करेगा;

ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त तालिका के तृतीय स्तम्भ में उल्लेखित धन तक हो सकता है.

(२) कोई भी जो उपधारा (१) के चरण (अ)

या (आ) के अधीन किसी भी अपराध का सिद्ध दोष ठहराए जाने के पश्चात् ऐसा अपराध करता रहेगा, प्रथम दिन पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें वह ऐसा अपराध करना चालू रखे, ऐसे अर्थ दण्ड से दंडित होगा जो उक्त तालिका के चौथे स्तम्भ में उल्लिखित धन तक हो सकता है.

* * *

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७४) से उद्धरण

* * *

धारा ७७ (२) : कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन किसी भूमि या भवन में या उस पर प्रवेश करने के लिए सशक्त किये गये या सम्यक् रुपेण प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी को प्रवेश करने में बाधा पहुंचायेगा या ऐसे अधिकारी को ऐसे प्रवेश के पश्चात छेडेगा, दोषसिद्ध पर, सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

* * *

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरण

* * *

धारा १४५– भाड़ा वृद्धि की सूचना देने में असफलता जो कोई धारा १४३ की उपधारा (१) तथा (२) द्वारा अपेक्षित भाड़ा वृद्धि की सूचना देने में असफल रहे या भाड़ा वृद्धि की ऐसी सूचना दे जो सारतः असत्य है, ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

* * *

धारा १७९ (१) – परिषद :–

(क) नए सार्वजनिक पथों का अभिन्यास कर सकेगी, खोल सकेगी; या

(ख) किसी भी सार्वजनिक पथ को चौड़ा कर सकेगी, खोल सकेगी, बढ़ा सकेगा या उसमें अन्यथा कोई सुधार कर सकेगी तथा सुरंग का और ऐसे अन्य कार्यों का सन्निर्माण कर सकेगी जो ऐसे पथों के लिए सहायक हो; या

(ग) किसी भी सार्वजनिक पथ की दिशा बदल सकेगी, उसके उपयोग को बंद करवा सकेगी या स्थायी रूप से उसे बंद कर सकेगी; या

(घ) उस भूमि का जो ऐसा पथ या उसका कोई भाग हो या ऐसे पथ को बनाने के प्रयोजन के लिए अर्जित की गई हो, विक्रय कर सकेगी या उसे पट्टे पर दे सकेगी यदि उसकी आवश्यकता ऐसे पथ के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं है.

परन्तु राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी सार्वजनिक पथ के उपयोग को बन्द नहीं किया जाएगा या उसे स्थायी रूप से बन्द नहीं किया जाएगा या उसका उपयोग किन्हीं भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा.

(२) किसी भी सार्वजनिक पथ का अभिन्यास करने, उसे बनाने, मोड़ने, उसकी दिशा बदलने, उसे चौड़ा करने, बढ़ाने या अन्यथा उसमें कोई सुधार करने के समय परिषद् उसके वाहन मार्गों और पैदल मार्गों और उसकी नालियों के लिए अपेक्षित भूमि के अतिरिक्त किसी ऐसी अन्य भूमि का, जो उक्त पथ को रुप देने हेतु गृहों और भवनों के सन्निर्माण के लिए अपेक्षित है, अर्जन कर सकेगी और धारा १०९ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए वह ऐसी अतिरिक्त भूमि का, उस पर बनाए जाने वाले गृहों और भवनों के वर्ग तथा विवरण के संबंध में ऐसे अनुबंधों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, विक्रय कर सकेगी या उसके शाश्वत रूप से या कुछ वर्षों के लिए पट्टे पर देकर उसका व्ययन कर सकेगी.

(३) यदि कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (२)में विनिर्दिष्ट अनुबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अतिरिक्त भूमियों का क्रय किया है या उन्हें पट्टे पर लिया है, ऐसे अनुबंधों का अनुपालन करने से असफल रहे, तो वह उक्त भूमि के विक्रय या पट्टे के करार के अधीन उसके द्वारा उपगत किसी भी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जुर्माना से, जो पांच सौं रुपए तक हो सकता है, दण्डित किए जाने का दायी होगा.

(४) अध्यक्ष, किसी भी सार्वजनिक पथ को या उसके किसी भाग को, मरम्मत करने या कोई मलनानी, नाली, पुलियां या पुल के सन्निर्माण के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से बंद कर सकेगा.

* * *

धारा १८२ – (१) ऐसा प्रत्येक,

(क) किसी भूमि का, क्रेता या पट्टेदार की ओर से की गई किसी प्रसंविदा या करार के अध्यधीन रहते हुए, उस पर भवनों का परिनिर्माण करने के लिए विक्रय करने का या पट्टे पर देने का आशय रखता है;

(ख) भूमि को, चाहे उस पर निर्माण कार्य न हुआ हो या आंशिक रूप से हुआ हो, भवन निर्माण के लिए भूमि खण्डों में विभाजित करने का आशय रखता है;

(ग) किसी भूमि या उसके किसी भाग को, भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने का आशय रखता है या उसका उपयोग में लाया जाना अनुज्ञात करने का आशय रखता है; या

(घ) किसी प्राइवेट पथ को बनाने का आशय रखता है या उसका अभिन्यास करने का आशय रखता है, चाहे जनता को ऐसे पथ पर आने जाने या पहुंच का अधिकार दिए जाने के लिए आशयित हो या न हो; तो वह ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना परिषद् को देगा और ऐसी सूचना के साथ रेखांक और सेक्शन्स भी प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसा भूमि या भवन या पथ के आशयित तल, जल निकास के साधन, दिशा एवं चौड़ाई और ऐसी अन्य विशिष्टियां दर्शाई जाएंगी, जिन्हें परिषद् उपविधियों द्वारा, विहित करें और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाय ऐसी प्रत्येक भूमि, भवन या पथ के तल, जल निकास के साधन दिशा और चौड़ाई ऐसी होगी जैसी परिषद् द्वारा नियत या अनुमोदितन की जाए.

(२) उपधारा (१) के अधीन आदेश पारित किए जाने के पूर्व परिषद् एक ऐसा अनंतिम आदेश पारित कर सकेगी जिसमें यह निदेश दिया गया हो कि एक मास से अनधिक ऐसी कालावधि तक, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, आशयितकार्य आगे न किया जाए या वह और विशिष्टयां मंगवा सकेगी.

(३) यदि :–

(क) उपधारा (१) के अधीन दी गई सूचना की प्राप्ति से दो मास के भीतर परिषद् –

(एक) उक्त धारा के अधीन आदेश पारित करने और उसकी सूचना तामील करने में असफल रहती है; या

(दो) उपधारा (२) के अधीन अनंतिम आदेश जारी करने या और विशिष्टियां मंगवाने में असफल रहती है; या

(ख) परिषद् और विशिष्टियों के लिए ऐसी मांग करने पर तथा ऐसी मांग के अनुसार और विशिष्टियां प्राप्त कर लेने पर ऐसी विशिष्टियों की प्राप्ति से एक मास के भीतर और आदेश जारी करने में असफल रहती है;

तो ऐसी रीति में, जो उपधारा (१) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट है और जो इस अधिनियम के या उसके अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी उपविधि के किसी भी उपबंध से असंगत नहीं है, भूमि को भवन निर्माण के लिए भूमि खण्डों में विभाजित किया जा सकेगा या उसका भवन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकेगा या पथ का अभिन्यास किया जा सकेगा तथा पथ बनाया जा सकेगा.

(४) कोई भी जो, उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित सूचना दिए बिना ही या उपधारा (१) या (२) के अधीन परिषद् के आदेशों के अनुसार के सिवाय या उपधारा (३) के उपबंधों के अधीन के सिवाय या इस अधिनियम या उसके अधीन तत्समय प्रवृत्त किन्हीं भी उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल किसी भी रीति में किसी भूमि को भवन निर्माण के लिए भूमि खण्डों में विभाजित करेगा या उसका भवन के प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा या ऐसे किसी पथ का अभिन्यास करेगा या ऐसा पथ बनाएगा वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा तथा परिषद् ऐसी किसी भूमि में, जो इस प्रकार भवनों के प्रयोजनों के लिए विभाजित की गई या उपयोग में लाई गई है या उस पथ में, जिसका अभिन्यास किया गया है या जिसे बनाया गया है, परिवर्तन करवा सकेगी, उसे तुड़वा सकेगी या उसे हटवा सकेगी और ऐसा करने में उपगत व्यय का संदाय अपराधी द्वारा उसे किया जाएगा और वह उसी रीति में वसूलीय होगा जिस रीति में अध्याय ८ के अधीन वसूलीय किसी कर के मद्धे दावाकृत रकम वसूल की जाती है.

* * *

धारा १८५ – (१) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् संनिर्मित या नवीकृत भवनों की बाहरी छतें तथा दीवालें परिषद् की ऐसी लिखित अनुज्ञा के सिवाय जो या तो पृथक–पृथक मामलों में विशेष रूप से या उसमें विनिर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में सामान्यतः दी जा सकेगी, घास, लकड़ी, कपड़े, केनवास, पत्तियों, चटाईयों, या अन्य ज्वलनशील सामग्री की नहीं बनायी जाएगी.

(२) यदि परिषद् की राय में ऐसा किया जाना लोकहित में आवश्यक है तो वह कम से कम पन्द्रह दिन की लिखित सूचना देकर किसी भी समय किसी भी ऐसे भवन के, जिसकी बाहरी छत या दीवाल किसी भी ऐसी यथा पूर्वोक्त सामग्री की बनी है, स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी छत या दीवाल को ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, हटा दे चाहे ऐसी छत, दीवाल इस अधिनियम के प्रारंभ के समय के पूर्व बनाई गई या नहीं बनाई गई है और वह परिषद् की सम्मति से या सम्मति के बिना बनाई गई है.

(३) जो कोई ऐसी संपत्ति के बिना, जैसी उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित है, यथापूर्वोक्त ऐसी किसी सामग्री की कोई छत या दीवाल बनाएगा या बनवाएगा या उपधारा (२) के अधीन दी गई सूचना की अपेक्षाओं की अवज्ञा करेगा और उसे बने रहने देगा, ऐसे जुर्माना से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा और ऐसे अतिरिक्त जुर्माना से, जो ऐसे उल्लंघन के लिए प्रथम दोषसिद्ध के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध चालू रहता है दस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.

* * *

धारा १८७ – (१) कोई भी व्यक्ति परिषद् की मंजूरी के बिना किसी भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण या उसका संनिर्माण नहीं करेगा या उसका निर्माण नहीं करेगा अथवा उसका परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण या संनिर्माण या उसका निर्माण प्रारंभ नहीं करेगा.

(२) किसी भवन का परिनिर्माण या उसमें बाहरी परिवर्तन या किसी विद्यमान भवन में परिवर्धन या किसी भवन के प्रक्षेपि ऐसे भाग का, जिसके संबंध में परिषद् उसका हटाया जाना या पीछे हटाया जाना प्रवर्तित करने के लिए धारा १८४ द्वारा सशक्त की गई है, संनिर्माण या पुनः निर्माण आरंभ करने के पूर्व वह व्यक्ति जो इस प्रकार भवन के निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन, या पुनःसंनिर्माण करने का आशय रखता है उस बाबत् लिखित सूचना परिषद् को देगा और यदि किसी उपविधि या विशेष आदेश द्वारा उससे ऐसा अपेक्षित किया जाए तो वह ऐसी सूचना के साथ एक ऐसा रेखांक प्रस्तुत करेगा जिसमें कुछ ऐसे तलों के प्रति, जो परिषद् को ज्ञात हो, निर्देश करते हुए वे तल दर्शाए गए हों जिन पर कि ऐसे भवन की नींव या निम्नतम फर्श बनाया जाना प्रस्तावित है और प्रस्तावित भवन की सीमाओं, डिजाइन, संवातन तथा सामग्री के संबंध में और उसके संबंध में उपयोग में आने वाली नालियों, मलनालियों, सण्डासों, फ्लश शौचालयों और मलकुण्डों, यदि कोई हो, की स्थिति का संनिर्माण तथा विद्यमान या परियोजित किसी पथ के प्रति निर्देश करते हुए भवन की अवस्थिति तथा उस प्रयोजन, जिसके लिए भवन का उपयोग किया जाएगा, के बारे में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसी अपेक्षित की जाए.

(३) इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय परिषद् या तो अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगी या प्रस्तुत रेखांक या जानकारी के अनुसार भत्तन का परिनिर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन या पुनः संनिर्माण करने की अनुज्ञा दे सकेगी अथवा तल, जल निकास, स्वच्छता, सामग्री के संबंध में या कमरे में या परिवर्तित की जाने वाली मंजिलों की संख्या के संबंध में या विद्यमान या परियोजित किसी पथ के प्रति निर्देश करते हुए उस भवन की अवस्थिति के संबंध में या उस प्रयोजन के संबंध में जिसके लिए भवन का उपयोग किया जाना है, लिखित में ऐसी शर्तें जैसी कि वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगी या यह निर्देश दे सकेगी कि कार्य तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाए जब तक भवन या ऐसे किसी पथ की अपनी–अपनी अवस्थिति से संबंधित समस्त प्रश्नों का उसके समाधानप्रद रूप से विनिश्चय न हो जाए.

(३) (क) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद्, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अधिसूचित किए गए प्रचलित नियमों के अन्तर्गत विहित की गई अपेक्षित अर्हता रखने वाले उतने वास्तुविदों तथा संरचना इंजीनियरों को, जितने की आवश्यक समझे, ऐसे इप अन्तःस्थापित भू–खण्डों के सम्बन्ध में परिषद् की ओर से भवनों के निर्माण या पुनर्निमाण के लिए इस धारा के अधीन परीक्षण करने तथा अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, पंजीकृत तथा प्राधिकृत कर सकेगी.

(४) परिषद् उपधारा (३) के अधीन दी गई किसी अनुज्ञा के अनुसरण में किसी कार्य के प्रारंभ के पूर्व ऐसी अनुज्ञा प्रतिसंहत कर सकेगी और उसके बदले इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के अनुसार नई अनुज्ञा उक्त उपधारा में निर्देशित विषयों के संबंध में ऐसी शर्तों पर दे सकेगी जैसी वह उचित समझे और यह निर्देश दे सकेगी कि कार्य को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाए जब तक भवन या ऐसे किसी पथ की अपनी–अपनी अवस्थिति से संबंधित समस्त प्रश्नों का उसके समाधानप्रद रूप में विनिचय न हो जाए.

(५) उपधारा (३) के अधीन कोई आदेश जारी करने के पूर्व, परिषद् ऐसी सूचना की प्राप्ति से एक मास के भीतर या तो –

(क) एक ऐसा अनंतिम आदेश जारी कर सकेगी जिसमें यह निदेशित हो कि उस आदेश के जारी किए जाने से एक मास से अनधिक कालावधि तक काम आगे न बढ़ाया जाए; या (ख) और विशिष्टियों की मांग कर सकेगी.

(६) उपधारा (२) के अधीन सूचना में

प्रस्तावित कार्य ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट रीति में निम्नलिखित मामलों में कार्य आगे बढ़ाया जा सकेगा परन्तु यह तब जब कि ऐसी रीति इस अधिनियम या उसके अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी उपविधि के उपबंध से असंगत न हो, अर्थात् :—अधिनियम, १९६१२६९

क) यदि परिषद् ने, ऐसी सूचना की प्राप्ति से एक मास के भीतर –

(एक) न तो उपधारा (३) के अधीन कोई आदेश पारित किया है और न आशयित कार्य के संबंध में उसकी सूचना की तामील की है; और

(दो) न तो उपधारा (५) के अधीन कोई अंतिम आदेश जारी किया है और न ही विशिष्टियों के संबंध में कोई मांग की है.

(ख) उस दशा में जब परिषद् ने और विशिष्टियों के लिए मांग की हो और ऐसी और विशिष्टियों के प्राप्त होने के पश्चात् ऐसी विशिष्टियों की प्राप्ति से एक मास की भीतर कोई और आदेश पारित न किया हो.

(७) कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे आशयित कार्य को, जिसकी सूचना उपधारा (२) के अधीन अपेक्षित है, उपधारा (३) या उपधारा (६) के अधीन बढ़ाने के लिए हकदार हो जाता है ऐसे कार्य को उस तारीख से, जिसको वह प्रथम बार ऐसे कार्य को आगे बढ़ाने जाने हेतु हकदार हो गया है, एक वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् तब तक आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक वह पूर्ववर्ती उपधारा के उपबंधों का नए सिरे से पालन करने के पश्चात् पुनः हकदार नहीं बन जाता है.

(८) कोई भी जो अनुज्ञा प्राप्त किए बिना या उपधारा (२) द्वारा अपेक्षित सूचना दिए बिना या ऊपर विहित दस्तावेज या जानकारी दिए बिना या किसी भी रीति में जो परिषद् के ऐसे आदेशों के, जो कि इस धारा के अधीन दिए जाएं, प्रतिकूल हों, या जो उपधारा (७) के उपबंधों के अप्रतिकूल हों, या किसी भी अन्य बात के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन प्रवृत्त किन्हीं भी उपविधियों के प्रतिकूल हो, कोई रचना, परिवर्तन, परिवर्धन या पुनर्रचना प्रारंभ करें, ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक हजार रुपए तक हो सकता है और पूर्वोक्त किन्हीं भी उपबंध का उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहे, एक सौ रुपए तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा :

परन्तु मुख्य नगरपालिका अधिकारी उल्लंघन के संबंध में जुर्माने के लिए कार्यवाही करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित सूचना द्वारा स्वामी से अपेक्षा कर सकेगा –

(क) या तो कार्य को ढहाने या हटाने या यदि वह उसमें ऐसे परिवर्तन करने के प्रभाव का चयन करता है जैसा कि सूचना में दर्शित अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक हो; या

(ख) जो ऐसे भवन को बना रहा है या ऐसे कार्य को निष्पादित कर रहा है या ऐसे भवन को बना दिया है या कार्य का निष्पादन कर दिया है ऐसा सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे दिन को या उससे पूर्व ऐसे लिखित कथन द्वारा जो या तो उसके द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा मुख्य नगरपालिक अधिकारी को संबोधित हो, ऐसा पर्याप्त कारण दर्शित हो कि क्यों न ऐसे भवन या कार्य को हटा दिया जाए; या परिवर्तित या ढहा दिया जाए.

(ग) सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट ऐसे दिन तथा ऐसे समय तथा स्थान पर उसे वैयक्तिक रूप से या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अभिकर्ता उपस्थित हो तथा ऐसा पर्याप्त कारण बताए कि क्यों न ऐसे भवन या कोई कार्य को हटा दिया जावे, परिवर्तित कर दिया जाए या ढहा दिया जाए.

(८—क) यदि ऐसा व्यक्ति मुख्य नगरपालिका अधिकारी को समाधानप्रद रूप से यह कारण बताने में असफल रहे कि ऐसा भवन या कार्य क्यों नहीं हटाया या परिवर्तित या ढहाया जाय?तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसे भवन या कार्य को हटा, परिवर्तित या ढहा सकेगा तथा उसके खर्चे ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदत्त किए जाएंगे.

(९) परिषद् या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई भी अधिकारी किसी भवन के परिनिर्माण का किसी भी समय निरक्षण कर सकेगा और भवन के परिनिर्माण या यथापूर्वोक्त किसी ऐसे कार्य के निष्पादन के दौरान किसी भी समय या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उपधारा (२) के अधीन इस बात की सूचना देने के लिए उत्तदायी है कि भवन का परिनिर्माण या यथापूर्वोक्त कोई ऐसा कार्य पूरा हो चुका है, लिखित में जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात् एक मास के भीतर किसी भी समय लिखित सूचना द्वारा ऐसा कोई भी विषय विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके संबंध में कि ऐसे भवन का परिनिर्माण या ऐसे कार्य का निष्पादन इस अधिनियम के किसी उपबंध के या इस अधिनियम के अधीन तत्समय प्रवृत्त किन्हीं उपविधियों के उल्लंघन में हो सकता है और परिनिर्माण या निष्पादन करने वाले व्यक्ति से या उस व्यक्ति से जिसने

ऐसे भवन का परिनिर्माण या कार्य का निष्पादन किया है या यदि ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसे भवन या कार्य का परिनिर्माण या निष्पादन किया है, सूचना दिए जाने के समय उसका स्वामी न हो, तो ऐसे भवन या कार्य के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी भी ऐसे बात को, जो किसी ऐसे उपबंध या उपविधि के प्रतिकूल है, परिवर्तित करा दे या ऐसा कार्य निष्पादित करे जो कि उसके द्वारा ऐसे उपबंध या उपविधि के अनुसार निष्पादित किया जाना अपेक्षित है.

स्पष्टीकरण इस संपूर्ण अध्याय में अभिव्यक्ति "किसी भवन का संनिर्माण करने" में सम्मिलित है :–

(क) किसी भवन का या किसी दीवाल, जिसमे अहाते की दीवाल और बाड़, बरामदा, स्थिर चबूतरा, मकान की कुर्सी, दरवाजे की सीढ़ी या उसी के समान निर्माण, चाहे व भवन का भाग हों या न हों, का सरवान परिवर्तन, विस्तार या पुनः निर्माण;

(ख) ऐसे किसी भवन का, जो मूलतः मानव निवास के लिए संनिर्मित न किया गया हो, मानव निवास हेतु स्थान में संपरिवर्तन;

(ग) किसी ऐसे भवन का, जो मूलतः निवास के एक स्थान के रूप में संनिर्मित हो, एक से अधिक स्थानों के रूप में संपरिवर्तन;

(घ) मानव निवास हेतु दो या अधिक स्थानों का अधिकसंख्या में ऐसे स्थानों के रूप में संपरिवर्तन;

(ङ) किसी भवन की आंतरिक व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन, जिसका प्रभाव उसके जल निकास, संवातन या अन्य स्वच्छता व्यवस्था पर या उसकी सुरक्षा स्थायित्व पर पड़ता है; और

(च) किसी भवन में किन्हीं कमरों, भवनों या उनकी सरंचनाओं का परिवर्धन; और इस प्रकार परिवर्तित, विस्तारित, पुनः संनिर्मित संपरिवर्तित या परिवर्धित भवन इस अध्याय के प्रयोजन के लिए "एक नया भवन" समझा जाएगा.

* * *

धारा १६४ – (१) परिषद् इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाई गई किन्हीं उपविधियों के अध्यधीन रहते हुए, सार्वजनिक पथ में बने भवनों के स्वामियों या अधिभोगियों को ऐसे भवन की किसी ऊपरी मंजिल से प्रक्षेपित होने के लिए खुले बरामदों, बालकनियों या कमरों के जो पथ की सतह से ऐसी ऊंचाई पर जैसी परिषद् नियत करे और ऐसे विस्तार तक, जो मकान की कुर्सी या आधार तल की दीवाल की रेखा से परे चार फीट से अधिक नहीं होगे, बनाए जाने की लिखित अनुज्ञा दे सकेगी, और ऐसा विस्तार विहित कर सकेगी जिस तक और ऐसी शर्तें विहित कर सकेगी, जिसके अध्यधीन रहते हुए छतों, ओलतियों, दासों, दुकान के बोर्डों और उसी प्रकार की अन्य संरचनाओं को ऐसे पथों पर प्रक्षेपित होने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा.

(२) (क) कोई भी ऐसा स्वामी या अधिभोगी जो यथा पूर्वोक्त कोई प्रक्षेप ऐसी अनुज्ञा के बिना या ऐसे आदेशों के उल्लंघन में बनाएगा, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और यदि ऐसा कोई स्वामी या अधिभोगी यथापूर्वोक्त कोई ऐसा प्रक्षेप, जिसके संबंध में उसे इस धारा के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है, हटाने में असफल रहे वह ऐसे और जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें ऐसी असफलता या उपेक्षा चालू रहे, पांच रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.

(ख) खण्ड (क) के अधीन की जा सकने वाली किन्हीं कार्यवाहियों के होते हुए भी, परिषद् लिखित सूचना द्वारा, किसी ऐसे भवन के स्वामी या अधिभोगी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह किसी भी ऐसे प्रक्षेपित भाग को, जिसका निर्माण या तो परिषद् द्वारा या उसकी ओर से दी गई अनुज्ञा या दिए गए या जारी किए गए आदेश के बिना या किसी भी रीति में उसके प्रतिकूल किया गया है, हटा ले या उसमें परिवर्तन करे.

(३) परिषद् लिखित सूचना द्वारा, किसी भवन के स्वामी या अधिभोगी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह किन्हीं भी ऐसे प्रक्षेपों, अधिक्रमण या बाधाओं को हटा दे या उनमें परिवर्तन कर दे चाहे ऐसे भवन स्थल के नगरपालिका का भाग बन जाने के पूर्व या उसके पश्चात् परिनिर्मित कर ली गई हों, ऐसे भवनों के सामने या उसके आगे परिनिर्मित कर ली गई हो या रखी दी गई हों और जो–

(क) किसी सार्वजनिक पथ के ऊपर इस प्रकार प्रलम्बित हों या बाहर निकली हुई हों या किसी भी प्रकार से प्रक्षेपित हों या अधिक्रमण करती हों जिससे कि ऐसे पथ पर से सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन में बाधा होती हो; या

(ख) ऐसे पथ में के किसी अनावृत्त जलवाही सेतु, नाली या मल नाली में या उसके ऊपर इस प्रकार से प्रक्षेपित हों और अधिक्रमण करती हो, कि जिससे ऐसे जलवाही सेतु, नाली या मल नाली में, या उसके उचित कार्यकरण में बाधा या विघ्न पहुचे :

परन्तु यदि ऐसी प्रक्षेपी भाग, अधिक्रमण या बाधा किसी स्थान में उसे तारीख के पूर्व बना ली गई हो जिसको ऐसा

स्थान नगरपालिका का भाग बना था, या ऐसी तारीख के पश्चात परिषद् की लिखित अनुज्ञा से बना ली गई हो तो परिषद् ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसे ऐसे हटाए जाने या परिवर्तन किए जाने से नुकसान होता है, युक्तियुक्त प्रतिकर देगी और यदि ऐसा कोई विवाद ऐसे प्रतिकर की रकम के संबंध में उद्भूत होता है तो उसे ३०३ में उपबंधित की गई रीति में अभिनिश्चित और अवधारित किया जाएगा.

* * * *

धारा १६८ – कोई भी व्यक्ति

(क) जो परिषद् की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई विज्ञापन पत्र (पोस्टर), विज्ञप्ति (बिल), प्लेकार्ड या अन्य कोई कागज–पत्र या विज्ञापन का साधन किसी ऐसे भवन, दीवाल; बोई, बाड़ या, खंभे, स्तंभ, दीपस्तम्भ, या ऐसी ही अन्य वस्तु के समक्ष या उस पर, जो नगरपालिका की संपत्ति है, लगाएगा; या

(ख) जो यथा पूर्वोक्त ऐसी सम्मत्ति के बिना किसी ऐसे भवन, दीवाल, बोर्ड, बाड़ या स्तम्भ पर खड़िया या रंग से या अन्य किसी भी प्रकार से लिखेगा, उसे गंदा करेगा, विरूपित करेगा या चिन्हित करेगा; वह ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.

* * *

धारा २१२ – (१) कोई भी, जो परिषद् की लिखित सम्मति पूर्व में अभिप्रास किए बिना, परिषद में निहित किन्हीं मलनालियों या उनमें से कोई नाली बनाता है या बनवाता है, वह जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और परिषद् लिखित सूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी नाली को तोड़ दे, परिवर्तित कर दे, पुनः बनाए या उसके संबंध में अन्यथा ऐसी कार्यवाही करे जैसी परिषद् ठीक समझे.

(२) परिषद् में निहित किसी मलनाली, पुलिया, या गन्दी नाली (गटर) पर किसी भी भवन का नया संनिर्माण या पुनः संनिर्माण परिषद् की लिखित सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा और परिषद लिखित सूचना द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसने ऐसी लिखित सम्मति के बिना किसी भवन का इस प्रकार संनिर्माण या पुनःनिर्माण किया हो, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे तोड़ दे या उसके संबंध में अन्यथा ऐसी कार्यवाही करे जैसी परिषद् उचित समझे.

* * *

धारा २२२ – (१) जो कोई, परिषद् की या अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी की लिखित सम्मति के बिना, किसी सार्वजनिक पथ के खड़ंजे, गंदी नाली, प्रस्तरखंड या अन्य सामग्री को या उसकी बाड़ों, दीवालों या स्तम्भों को, या उसमें नगरपालिका के किसी दीप, दीप स्तम्भ, दीवारगीरी (ब्रेकेट), पानी के नल, खम्बा, या नगरपालिका की ऐसी अन्य संपत्ति को विस्थापित करेगा, ले जाएगा या उसमें कोई परिवर्तन करेगा,वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा.

(२) कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसे खड़ंजे, गंदीनाली, प्रस्तरखंड या अन्य सामग्रियों को या ऐसे बाड़ों, दीवालों, स्तंभों नगरपालिका के दीपों, दीपस्तंभों, दीवारगिरियों, पानी के नलों, बम्बों यां नगरपालिका की अन्य संपत्ति को विस्थापित करने या ले जाने या उसमें परिवर्तन करने के पश्चात परिषद के समाधानप्रद रूप में उन्हें वापस रखने या पुनः स्थापित करने में, ऐसा करने की सूचना के पश्चात् असफल होगा, वह ऐसे जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और वह किसी ऐसे व्यय का संदाय करेगा जो उन्हें प्रतिस्थापित करने या पुनःस्थापित करने में उपगत हुए हों, और ऐसा व्यय उसी रीति में वसूलीय होगा जिस रीति में अध्याय ८ के अधीन वसूलीय किसी कर के मद्धे दावाकृत रकम वसूल की जाती है.

* * *

धारा २२४ – (१) कोई भी व्यक्ति जो किसी भवन को सनिर्मित करने या ढहाने या किसी भवन में बाहरी परिवर्तन. करने या उसकी मरम्मत करने का आशय रखता है, यदि कार्य की दशा या परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे किसी पथ में बाधा, खतरा या असुविधा होने की संभाव्यता है या हो सकती है तो वह ऐसा कार्य आरंभ करने के पूर्व– (क) परिषद् से अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा; और

(ख) उस क्षेत्र को, जहां कार्य किया जाना है, पथ से अलग करने के लिए पर्याप्त घेरा या बाड़ लगवाएगा और ऐसे घेरे या बाड़ को उतने समय के लिए जितना कि परिषद् लोक सुरक्षा या सुविधा के लिए आवश्यक समझे परिषद् के समाधानप्रद रूप से प्रकाशयुक्त रखेगा और परिषद् द्वारा निदेशित किए जाने पर उसे हटा देगा.

(२) जो कोई इस धारा के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक को हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें ऐसे अपराध की दोषसिद्धि की तारीख से पश्चात् ऐसा उल्लंघन चालू रहे, दस रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा.

धारा २२५ – (१) परिषद् अपने निहित किन्हीं भी पथों, मल नालियों, नालयों, या अन्य परिसरों के संनिर्माण या उनकी मरम्मत के दौरान निकटस्थ भवनों को टेक लगाकर और उनकी संरक्षा कर दुर्घटना से बचावके लिए समुचित पूर्वावधानी बरतेगी और उस समय, जब ऐसा संनिर्माण या ऐसी मरम्मत की जा रही हो जब गाड़ियों, बैलगाड़ियों या अन्य यानों के या पशु या घोड़ों के आवागमन को रोकने के लिए ऐसी छड़ें, जंजीर, या खंभे, जैसा वह ठीक समझे, किसी पथ के आरपार या उसमें लगवाएगी और पथ में किसी ऐसे निर्माण या मरम्मत कार्य को रात्रि के दौरान पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त और सुरक्षित करवाएगी.

(२) जो कोई परिषद् के प्राधिकार या सम्मति के बिना उक्त किन्हीं भी छड़ों, जंजीरों या खंभो को ढहाएगा, परिवर्तित करेगा या हटाएगा या ऐसे प्रकाश को हटाएगा या बुझाएगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा.

धारा २२६ – (१) कोई भी व्यक्ति, परिषद् की लिखित अनुज्ञा के बिना या ऐसी अनुज्ञा की शर्तों के अनुसार न होकर अन्यथा किसी पथ में कोई गड्ढा नहीं करेगा या किसी पथ पर काष्ठ, पत्थर, ईटें, मिट्टी या अन्य सामग्री, जिसका भवन निर्माण में उपयोग किया गया है या जो उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है जमा नहीं करेगा. ऐसी अनुज्ञा परिषद् के स्वविवेक से समाप्त की जाने योग्य होगी और जब ऐसी अनुज्ञा किसी व्यक्ति को दी जाती है तो वह अपने स्वयं के व्यय से, ऐसी सामग्री या ऐसे गडढे पर परिषद् के समाधानप्रद रूप में उस समय तक के लिए पर्याप्त रूप से बाड़ लगवाएगा या उस पर घेरा लगवाएगा जब तक वे सामग्रियां हटा न ली जाएं या गडढा भर न दिया या अन्यथा सुरक्षित न कर दिया जाए और वह ऐसी सामग्री या गडढे को रात्रि के दौरान पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त रखवाएगा.

(२) जो कोई उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो पच्चीस रुपये तक का हो सकेगा तथा ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसको कि ऐसे अपराध की दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहे, दस रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा.

* * *

धारा २२८ – वृक्षों की शाखाओं आदि को छांटने का प्रतिबंध जो कोई परिषद् की अनुज्ञा के बिना, किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़े किसी भी वृक्ष या पौधे की शाखाओं या टहनियों को छांटेगा या काटेगा या ऐसे वृक्ष या पौधे के फल, फूल या पत्तियां तोड़ेगा या उनको कोई नुकसान पहुंचाएगा, वह जुर्माने से, जो '(एक हजार रुपये) तक का हो सकेगा या द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती भंग की दशा में '(दो हजार रुपये) तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.

* * *

धारा २३६ – मल आदि का निस्सारण –जो कोई अपने नियंत्रण के अधीन किसी भवन या भूमि से किसी हौदी या मलनाली के जल को या किसी अन्य द्रव्य या अन्य पदार्थ को, जो घृणोत्पादक है या जिसके घृणोत्पादक हो जाने की सम्भाव्यता है, किसी पथ पर या खुले स्थान पर बहाए, निकाले या फेंके या डाले या उसे बहने, निकलने, फैंकने या डालने के लिए अनुज्ञात करे या उसके जल को किसी बाहरी दीवाल में सोखें जाने दे या परिषद् की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी मलनाली या संडास से घृणोत्पादक पदार्थ को किसी पथ में की सतही नाली में बहाए, निकाले या फेंके या उसे बहाने, निकालने या फेंकने के लिए अनुज्ञात करे या जो ऐसी अनुज्ञा में विहित किसी शर्त का पालन करने में असफल रहे वह जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा.

धारा २४० – गंदगी आदि का न हटाया जाना जो कोई किसी भवन या भूमि का स्वामी होते हुए भवन में या ऐसी भूमि पर चौबीस घंटे से अधिक समय के लिए या किसी उचित आधान (रेसेप्टिकल) में के सिवाय से अन्यथा कोई मैला, पशु विष्ठा, हड्डियां, राख, विष्ठा गंदगी या कोई भी अपायकारक या घृणोत्पादक पदार्थ रखे या रखने के लिए अनुज्ञात करे या ऐसे आदान को गंदी या अपायकर दशा में रहने दे या ऐसे आधान से गंदगी हटाने और उसे साफ तथा शोधित करने के उचित साधनों को उपयोग में लाने में उपेक्षा करे या ऐसे भवन में या भूमि पर किसी भी जीवजन्तु को इस प्रकार रखे या रखने के लिए अनुज्ञात करे जिससे न्यूसेंस कारित होता है, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, तथा ऐसे और जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा अपराध चालू रहे, पांच रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा.

* * *

धारा २४२ – (१) जो कोई, ऐसे भवन या ऐसी भूमि का, भले ही वह किराए पर देने योग्य हो या नहीं स्वामी या अधिभोगी होते हुए भी उसे गंदी या अस्वास्थ्यकर अवस्था में रहने देगा या उसे ऐसी अवस्था में रहने देगा या उसे ऐसी अवस्था में जिससे परिषद् की राय में पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूसेंस हो या उस पर नागफनी (प्रिकली पियर) या उग्रगंध या दुर्गन्धयुक्त वनस्पति उगी हुई रहने देगा, और जो ऐसे भवन या भूमि को साफ करने या अन्यथा उपयुक्त

दशा में रखने के लिए परिषद् द्वारा लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात् भी युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसी सूचना में अन्तर्विष्ट अपेक्षा को पूरा नहीं करेगा, वह जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए तक का हो सकेगा, तथा ऐसे और जुर्माने से, जो ऐसेप्रत्येक दिन के लिए, जिसको ऐसे अपराध की प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् उक्त सूचना के पालन में चूक करना जारी रहे, पांच रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा.

* * * *

धारा २५५ – (१) परिषद् के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह सार्वजनिक सूचना द्वारा यह निदेश दे कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी भी व्यापार या विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संकर्म या भवनों में काम लाई गई भट्टी या, काम में लाई जाने वाली भट्टी, चाहे उसमें भाप से चलने वाला इंजिन उपयोग में या काम में लाया जाता है या नहीं लाया जाता है, समस्त दशाओं में इस प्रकार संनिर्मित, अनुपूरक उपाय करके वर्धित या परिवर्तित की जाएगी जिससे ऐसे भट्टी में से निकलने वाला धुंआ 'यावतसाध्य समाप्त हो जाए या जल जाए या कम हो जाए.

(२) यदि कोई व्यक्ति, ऐसे निदेश के पश्चात् किसी ऐसी भट्टी का, जो इस प्रकार संनिर्मित, अनुपूरक उपाय करके वर्धित या परिवर्तित नहीं की गई है, उपयोग करने की अनुज्ञा देगा या या किसी ऐसी भट्टी का, इस प्रकार उपेक्षा पूर्वक उपयोग करेगा या उपयोग करने की अनुज्ञा देगा जिससे निकलने वाला धुआं, यथासाध्यप्रभावी तौर पर समाप्त न हो जाए या जल न जाए तो ऐसा व्यक्ति, जो उक्त संकर्म या भवनों का स्वामी या अधिभोगी है या उनका प्रबंध करने के लिए ऐसे स्वामी या अधिभोगी द्वारा नियोजित उनका अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति है, ऐसे जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, तथा ऐसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगी, दंडित किया जाएगा:

परन्तु इस धारा में की कोई भी बात ऐसे लोकोमोटिव इंजनों पर लागू नहीं मानी जाएगी जो किसी रेल मार्ग पर यातायात के प्रयोजन के लिए या सड़कों की मरम्मत के लिए उपयोग में लाए जाते हैं.

* * *

धारा २६० –(१) परिषद् के लिए यह निदेश जाना विधिपूर्ण होगा कि नगरपालिका की मंडी से भिन्न किसी स्थान का उपयोग जीव जन्तुओं, गोश्त, मछली, फल, शाक–भाजी या ऐसी अन्य वस्तुओं के, जिन्हें परिषद् विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, विक्रय के लिए उसके द्वारा दी गई ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसकी शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा अन्यथा नहीं. परिषद् स्वविवेकानुसार साधारणतया या अलग–अलग मामलों में समय–समय पर अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी, निलम्बित कर सकेगी, रोक सकेगी या प्रत्याहृत कर सकेगी.

(२) जो कोई ऐसे निदेश के प्रतिकूल या यथापूर्वोक्त अपेक्षित अनुज्ञप्ति के बिना या ऐसी अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन करते हुए या ऐसी अनुज्ञप्ति के निलंबन के दौरान या उसके प्रत्याहरण के पश्चात् किसी स्थान का उपयोग करता है या उपयोग करने की अनुज्ञा देता है, वह जुर्माने से, जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा.

(३) किसी स्थान के संबंध में उपधारा (२) के अधीन दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मजिस्ट्रेट मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आवेदन पर, किन्तु अन्यथा नहीं, ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का इस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा; और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी स्थान को बंद कर देने का इस प्रकार आदेश दिए जाने के पश्चात् उसका इस प्रकार उपयोग करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, वह जुर्माने से, जो उस स्थान को बन्द करने के उस प्रकार आदेश हो चुकने के पश्चात् के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह उस स्थान का इस प्रकार उपयोग करना जारी रखे या ऐसा उपयोग करने की अनुजा दे, पांच रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा.

* * *

धारा २६८ –(१) कोई भी व्यक्ति परिषद् द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन तथा उसके अनुसार के सिवाय नगरपालिका के भीतर किसी स्थान पर निम्नलिखित वस्तुओं का न तो विक्रय करेगा और न ही उन्हें विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा या अभिदर्शित करेगा :

(एक) मानव खाद्य के लिए आशयित कोई जीवजन्तु या कोई गोश्त या मछली; या

(दो) कोई दुग्ध या डेरी उत्पादन, मिठाई, फल शाक–भाजी, पान (बीडे के रूप में खाए जाने के लिए तैयार), बर्फ, आइसक्रीम, वातित जल, (एरिएटेड वाटर्स), शर्बत या मद्यरहितपेय, फल का रस या नीरा, मिष्ठान्न और किसी भी प्रकार का तैयार खाद्य या पेय.

(२) ऐसी किसी वस्तु का विक्रय किसी अस्तबल, सार्वजनिक शौचालय, नाली या प्रणाल छिद्र (मैन होल) के निकट किसी स्थान पर करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी.

(३) उपधारा (२) के उपबंध ऐसी किसी भी वस्तु के किसी गृह, दुकान या स्टाल (जंगमया अन्य प्रकार के) पर विक्रय और सड़क पर तथा सड़क के किनारों पर विक्रय को लागू होंगे.

(४) परिषद् स्वविवेकानुसार, समय–समय पर, साधारणतया या वैयक्तिक मामलों में ऐसी अनुज्ञप्तियां मंजूर कर सकेगी, निलंबित कर सकेगी, विधारित कर सकेगी या प्रत्याहृत कर सकेगी.

(५) जो कोई पूर्वोक्तानुसार अपेक्षित अनुज्ञप्ति के बिना या ऐसी किसी अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों के उल्लंघन में या ऐसी अनुज्ञप्ति के निलंबन के दौरान या उसके प्रत्याहरण के पश्चात् किसी स्थान का उपयोग करेगा या उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.

(६) किसी स्थान के संबंध में उपधारा (५) के अधीन दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मजिस्ट्रेट, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आवेदन पर, किन्तु अन्यथा नहीं ऐसे स्थान को बन्द करने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का उस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे स्थान को, बन्द कर देने का इस प्रकार आदेश दिए जाने के पश्चात् उसका उस इस प्रकार से उपयोग करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, वह जुर्माने से, जो उस स्थान को, बन्द करने के उस प्रकार आदेश हो चुकने के पश्चात् के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह उसका इस प्रकार उपयोग करना जारी रखे या ऐसा उपयोग करने की अनुज्ञा दे, पांच रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा.

* * *

धारा २७२ –(१) कोई भी व्यक्ति व्यापार के प्रयोजनों के लिए परिषद् द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अधीन तथा उसके अनुसार ही किसी स्थान का, दुधारु पशुओं को बांधकर पशुशाला के रूप में या दुग्ध के भंडारकरण या विक्रय के लिए या मक्खन बनाने, उसके भंडारकरण या उसके विक्रय के लिए उपयोग करेगा या उपयोग किए. जाने की अनुज्ञा देगा अन्यथा नहीं.

(२) परिषद् ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह उचित समझे, ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी को एक मास की सूचना देकर किसी भी समय ऐसे अनुज्ञप्ति प्रत्याहत कर सकेगी:

परन्तु जहाँ अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन किया है वहां अनुज्ञप्ति ऐसी किसी सूचना के बिना प्रत्याहृत की जा सकेगी.

(३) जो कोई पूर्वोक्त किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए किसी भी स्थान का ऐसी अनुज्ञप्ति के बिना या उसकी किन्हीं भी शर्तों के उल्लंघन में या उसके प्रत्याहृत कर लिए जाने के पश्चात् या अनुज्ञप्ति के निलम्बित रहने के दौरान उस प्रकार उपयोग करने की अनुज्ञा देगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसे प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा अपराध चालू रहे, दस रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा.

(४) उपधारा (३) के अधीन किसी स्थान के संबंध में दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मजिस्ट्रेट, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के आवेदन पर, किन्तु अन्यथा नहीं ऐसे स्थान को बन्द कर देने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का उस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा.

* * *

धारा २८३ –(१) यदि इस संबंध में परिषद् का यह समाधान करा दिया जाए कि कोई भवन या स्थान को किसी भी व्यक्ति द्वारा (क) रद्दी मांसा वशिष्ट, खून, हड्डिडयों या चिथड़ों के उबाले जाने या १) यदि इस संबंध में परिषद् का यह समाधान करा दिया जाए कि कोई भवन या स्थान को किसी भी व्यक्ति द्वारा (क) रद्दी मांसावशिष्ट, खून, हड्डियों या चिथड़ों के उबाले जाने या उनका संग्रह किए जाने के लिए

(ख) मछलियों को नमक लगाने, उन्हें सुरक्षित रखने या उनका संग्रह करने के लिए;

(ग) खालों, सींगों तथा चमड़ों का संग्रह करने के लिए;

(घ) चमड़ा कमाने के लिए;

(ङ) चमड़े या चमड़े के माल का निर्माण करते के लिए;

(च) रंगने के लिए;

(छ) चर्बी या गंधक पिघलाने के लिए;

(ज) ऊन या बालों को धोने या सुखाने के लिए,

(झ) ईंट, चीनी मिट्टी के बर्तनों या चूना पकाने के भट्टे के रूप में;

(ज) साबुन बनाने के लिए;

(ट) तेल उबालने या तेल निकालने के लिए;

(ठ) आसवनी के रूप में;

(ड) सूखा घास, भूसा चारा, लकड़ी, कोयले या अन्य ज्वलनशील पदार्थों का संग्रह करने के लिए;

(ढ) किसी अन्य प्रकार की विनिर्माण शाला या कारबार के स्थान के रूप में, जिसमें घृणोत्पादक या अस्वास्थ्यकर दुर्गन्ध उत्पन्न होती है या दुर्गन्ध उत्पन्न हो सकती है या जिसमें आग लग जाने का खतरा अंतर्वलित है;

(ण) नास (नासाचूर्ण, सूंघनी) की विनिर्माण शाला के रूप में;

(त) मिठाइयां बनाने या बेचने के लिए

(थ) ऐसे कारखाने, कर्मशाला या कारबार के स्थान के रूप में जिसमें काम करने के लिए जानवरों को उपयोग में लाया जाता है या लाया जाना आशयित है या जिसमें वाष्प, पानी या किसी भी यांत्रिक शक्ति का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है;

(द) केश संवारने की दुकान या नाई की दुकान या हमामखाने के रूप में, उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाये जाने हेतु आशयित है, ऐसे उपयोग तथा उसकी ऐसी स्थिति के कारण पड़ोस के लिए न्यूसेंस है या न्यूसेंस हो जाने की संभाव्यता है या इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है या इस प्रकार स्थित है जिससे कि जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए खतरनाक हो जाने की संभाव्यता है, तो परिषद् लिखित सूचना द्वारा उसके स्वामी या अधिभोगी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह

(एक) ऐसे भवन या स्थान के ऐसे उपयोग को तत्काल बंद कर दे या इस प्रकार उपयोग करने के आशय को कार्यान्वित करना या करने देना तत्काल छोड़ दे; या(दो) उसे ऐसी रीति में या संरचना संबंधी ऐसे परिवर्तनों के पश्चात् जैसा परिषद् ऐसी सूचना में विहित करे, उपयोग में लाए, जिससे वह न्यूसेंस या खतरनाक न हो सके या न रहे.

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजन के लिए न्यूसेंस के अंतर्गत आएगा वायुमंडल का कोई भी ऐसा संदूषण जिससे कालिख जमा होती है या कोई भी यांत्रिक कोलाहल.

(२) जो कोई उपधारा (१) के अधीन सूचना दिए जाने के पश्चात् किसी भवन या स्थान का ऐसी रीति में उपयोग करने की अनुज्ञा देगा जो पड़ोस के लिए न्यूसेंस है या जो जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए खतरनाक है, जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, तथा ऐसे और जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसकी प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा उपयोग तथा उपयोग करने की अनुज्ञा चालू रही है, चालीस रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा.

(३) इस धारा के अधीन दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मजिस्ट्रेट, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के आवेदन पर, किन्तु अन्यथा नहीं ऐसे स्थान को बन्द करने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा, या अन्य उपाय करेगा.

(४) जो कोई अनुज्ञप्ति के बिना या अनुज्ञप्ति के निलंबित रहने के दौरान या अनुज्ञप्ति के प्रत्याहृत कर लिए जाने के पश्चात् किसी ऐसी नगरपालिका में, जिनमें ऐसी उपविधियां तत्समय प्रवृत्त हैं, जो ऐसी शर्तें, जिन पर जिनके अध्यधीन, ऐसी परिस्थितियां जिनमें और ऐसे क्षेत्र या परिक्षेत्र, जिनके संबंध में, ऐसे उपयोग के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की जा सकती हैं, उन्हें प्रदान करने से इंकार किया जा सकता है, उन्हें निलंबित किया जा सकता है या उन्हें प्रत्याहत किया जा सकता है विहित करती है, उपधारा (१) में वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए किसी स्थान का उपयोग करेगा, वह जुर्माने से जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, तथा ऐसे और जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसा उपयोग चालू रहे, दस रुपए तक का हो सकेगा. दंडित किया जाएगा.

धारा २८५ –(१) वाष्प सीटी आदि के उपयोग का प्रतिषेध (१) कोई भी व्यक्ति किसी कारखाने या किसी अन्य स्थान में कर्मकारों का नियोजित व्यक्तियों को काम पर बुलाने या छुट्टी देने के प्रयोजन के लिये वाष्प द्वारा या यांत्रिक साधनों से बजने वाली किसी सीटी या तुरही (ट्रंपेड) का उपयोग परिषद् से प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसकी शर्तों के अनुसार ही करेगा और काम में लाएगा अन्यथा नहीं.

(२) – परिषद् ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह उचित समझे, ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी को एक मास की सूचना देकर किसी भी समय ऐसी अनुज्ञप्ति प्रत्याहृत कर सकेगी :

परंतु जहाँ अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन किया है, वहां अनुज्ञप्ति ऐसी किसी सूचना के बिना प्रत्याहृत की जा सकेगी.

(३) जो कोई ऐसी अनुज्ञप्ति के बिना या उसकी किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन में या उसके प्रत्याहृत कर लिए जाने के पश्चात् पूर्वोक्त प्रकार की सीटी या तुरही का प्रयोग करेगा या काम में लाएगा, जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

* * *

धारा ३०० – यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करे तो कार्यवाहियां यदि किसी भवन या भूमि का अधिभोगी ऐसे भवन या भूमि के संबंध में इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों को कार्यान्वित करने में उसके स्वामी को, ऐसे स्वामी द्वारा ऐसा कार्यान्वयन करने के अपने आशय की सूचना ऐसे अधिभोगी को दे दिया जाने के पश्चात् रोकता है, तो कोई भी मजिस्ट्रेट इस बात के साबित हो जाने पर और स्वामी के आवेदन करने पर अधिभोगी को लिखित में आदेश कर सकेगा, जिसमें ऐसे अभिभोगी से यह अपेक्षित किया जाएगा कि वह ऐसे स्वामी को ऐसे भवन या भूमि के संबंध में ऐसे समस्त कार्यों को निष्पादित करने दे जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, और यदि वह उचित समझे जो वह अधिभोगी को ऐसा आदेश भी देगा कि वह ऐसे आवेदन पत्र या आदेश से संबंधित खर्चे का संदाय स्वामी को करे और यदि ऐसे आदेश की तारीख से ८ दिन का अवसान हो जाने के पश्चात् ऐसा अधिभोगी ऐसे स्वामी को किसी भी ऐसे कार्य को निष्पादित करने से इंकार करते रहना चालू रखता है तो ऐसा अधिभोगी प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान वह ऐसा इंकार करता रहता है, जुर्माने से, जो पचार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक स्वामी ऐसी इंकारी के चालू के दौरान ऐसी किन्हीं भी शास्तियों से उन्मोचित किया जाएगा जिनके लिए वह ऐसे कार्यों का निष्पादन न करने के कारण अन्यथा दायी होता.

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, २०२४

* * *

३६. धारा २८ तथा ३१ के उल्लंघन के लिये शास्ति– यदि धारा २८ तथा ३१ की उपधारा (२) में यथानिर्दिष्ट कोई सोसायटी या कोई व्यक्ति उन धाराओं के अधीन अपेक्षित जानकारी या स्पष्टीकरण देने से इंकार करेगा या देने में उपेक्षा करेगा तो वह सोसायटी या ऐसा व्यक्ति दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे अपराध की बावत् बीस रूपये तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.